

कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
जिला-खरगोन (म.प्र.)


क्रमांक/पौ.स./गु.नि./विस्तार/2023/3339 खरगोन, दिनांक: 09/08/2023
प्रति,

मेसर्स अंिका कृषि सेवा केन्द्र
पता: मैन रोड घोट्या
विकास खण्ड: खरगोन

विषय-कीटनाशक औषधियों के विक्रय/भंडारण/प्रदर्शन के लिये जारी कीटनाशी उत्पादों
का वर्ष 2023 तक विस्तार करने बाबद।

उपरोक्त विषय में लेख है कि उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला-खरगोन द्वारा आपके कीटनाशी लायसेंस क्रमांक 4288 में इन्द्राज विभिन्न कंपनियों के
कीटनाशी उत्पादों को 31 दिसम्बर 2022 तक विस्तार की अनुमति दी गई थी। संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल के राज्य अनुज्ञापन अधिकारी एवं
संयुक्त संचालक कृषि (पौ.सं.) किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल द्वारा
कीटनाशक औषधियों के विक्रय/भंडारण/प्रदर्शन के लिये जारी प्रिंसीपल सर्टिफिकेट
अभिप्रमाणित करने के उपरान्त कीटनाशी उत्पादों का वर्ष 2023 के अनुसार एवं वरिष्ठ कृषि
विकास अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर पौध संरक्षण औषधि अधिनियम के तहत [See
sub-Rule (3 A) and (4) of rule 10] 31 दिसम्बर 2023 तक कीटनाशी उत्पादों के विस्तार
करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

लायसेंस नं.: 4288


Licensing Authority and
उप संचालक
Dy Director of Agriculture,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला-खरगोन